

प्रपत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

- आदेश :-

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मीपावास
व भू.अ.नि. कोडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार गिष्णु की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम मीपावास तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 53 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	मीपावास	53	चाँदी पति किशनलाल हिस्सा-पूर्ण जाति-सालवी सा.डेड खातेदार राटिन (पूर्ण खाता) M.A.L.B. शाख्या दरीषा	चाँदी पति किशनलाल हिस्सा-पूर्ण जाति- सालवी सा.डेड खातेदार राटिन (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाख्या दरीषा

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

क्रमांक - 148
प्रतिलिपि -

दिनांक - 3/10/13

- 1 तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
- 2 प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर